निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 130 / 2020 तारीख दायरा 27.02.2020

उनवान

गजराज सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट</u>

उपस्थित :—

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी) दिनॉक :— 23.12.2020

सरकार पैरोकार (प्रतिवादी)

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के खाते ए[illegible] ग्राम विनोदकलां पटवार हलका विनोदखुर्द तह. सांगोद में खतोनी सं. नई 291 की [illegible] 10 की 1.62 है. आराजी स्थित है जिसमें वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में [illegible] जाति राजपूत निवासी ग्राम रोलाना तह. सांगोद जिला कोटा दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:51:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वादी का नाम गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह ही है, परन्तु बचपन में वादी के पिता द्वारा उक्त आराजियात में वादी का बचपन का घर का बोलता नाम श्योराज सिंह पुत्र फतेह सिंह नाम दर्ज करवा दिया था। वादी का पहचान पत्र जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह के नाम से ही जारी किया गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट पहचान पत्र में भी वादी का नाम गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह दर्ज है। वादी के परिवार राशन कार्ड एवं कक्षा दसवीं की अंक तालिका जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी की गई है, में भी वादी का नाम गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह दर्ज है, उपजिला कलेक्टर रामगंजमण्डी केम्प सांगोद द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र में वादी का नाम गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह दर्ज है एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड में भी वादी का नाम गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह दर्ज है। अर्थात समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह दर्ज किया हुआ है।

उक्त वर्णित आराजी में वादी का बचपन का बोलना नाम श्योराज सिंह पुत्र फतेह सिंह दर्ज होने तथा वादी के जन्म से लेकर आज दिन तक के सभी दस्तावेजों में वादी का नाम गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह दर्ज होने से वादी को अपने हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी को काश्त करने में काफी परेशानी आ रही है तथा सरकार से मिलने वाले अनुदान व कृषि ऋृण राशि भी प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। जबकि वादग्रस्त आराजी वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी है जिस पर वादी आज तक बहैसियत काश्तकार शांति पूर्वक काबिज काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है और राज लगान भी वादी ही अदा करता चला आ रहा है।

वादी ने अपने खाते की आराजी पर कृषि ऋृण प्राप्त करने के लिए खाते की नकल प्राप्त करने पर वादी की जानकारी में आया कि वादी की आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का बचपन का बोलता नाम श्योराज सिंह अंकित है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में वादी का वास्तविक नाम गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह अंकित है। इस प्रकार नामों में भिन्नता होने के कारण वादी ने आज से एक माह पूर्व पटवारी हलका महोदय से अपने बचपन के नाम श्योराज सिंह को पहचान के दस्तावेजों अनुसार दुरस्त करवाने की कहने पर पटवारी हलका द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने पर वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय में घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत करके अपने नाम की दुरस्ती करावें जिसके लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:51:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावें कि–

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वाद पत्र में वर्णित आराजी माल ग्राम विनोदकलां पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खतोनी सं. 291 की खसरा न. 10 की 1.62 है. आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी का घर का बोलता बचपन का नाम श्योराज सिंह पुत्र फतेह सिंह को दुरस्त करके पहचान के दस्तावेजों अनुसार गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह दुरस्त किया जाने की घोषणा की डिकी पारित फरमायी जावे तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त करके राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सरकार पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है–

ग्राम विनोदकलां पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में जमाबंदी सं. 2076–79 के खतोनी सं. 291 की खसरा न. 10 की 1.62 है. आराजी श्योराज सिंह पुत्र फतेह सिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। ग्राम रोलाना में ग्रामवासियों से जानकारी चाही जाने पर ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि श्योराज सिंह पुत्र फतेह सिंह को गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह के नाम से भी जाना जाता है।

जवाब सरकार से प्रतीत होता है कि सरकार पैरोकार वाद वादी का स्वीकार करने पर सहमत है। जवाब सरकार ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया है, इस कारण तनकियात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली में जो जवाब सरकार, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त मैं दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिकी किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम विनोदकलां पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खतोनी सं. 291 की खसरा न. 10 की 1.62 है. आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी का घर का बोलता बचपन का नाम श्योराज सिंह पुत्र फतेह सिंह को दुरस्त करके पहचान के दस्तावेजों अनुसार गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह दुरस्त किया जावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त करके राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:51:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:51:20 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 130 / 2020 तारीख दायरा 27.02.2020

उनवान

गजराज सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी) दिनॉक :– 23.12.2020

सरकार पैरोकार (प्रतिवादी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:51:20 IST
Reason: SelfAttested

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कराई रूबरू मुझ [illegible] अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बहादुर सिंह मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मि[illegible] जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

माल ग्राम विनोदकलां पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खतोनी सं. 291 की खसरा न. 10 की 1.62 है. आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी का घर का बोलता बचपन का नाम श्योराज सिंह पुत्र फतेह सिंह को दुरस्त करके पहचान के दस्तावेजों अनुसार गजराज सिंह पुत्र फतेह सिंह दुरस्त किया जावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त करके राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:51:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद